न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चौथ का बरवाड़ा

मु0नं0:– 29 / 2015 तारीख रजू:– 08.04.2015

जी0सी0एम0एस0 नं0:– 2015 / 00053

पीठासीन अधिकारी :–दामोदर सिंह (आर.ए.एस.)

1. गोपाल पुत्र गोविन्द नारायण पाराशर ब्राम्हण निवासी ग्राम शिवाड़, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।

–वादी

बनाम

1. सुरेशचंद पुत्र गजानंद जैन, जाति महाजन, निवासी शिवाड़, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
2. मनोज कुमार पुत्र सुरेशचंद जैन, जाति महाजन, निवासी शिवाड़, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
3. गुणमाला पत्नि सुरेशचंद जैन, जाति महाजन, निवासी शिवाड़, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
4. अभिलाषा पत्नि मनोज कुमार जैन, जाति महाजन, निवासी शिवाड़, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।

उपखण्ड अधिकारी न्यायालय सत्यमेव जयते चौथ का बरवाड़ा

–प्रतिवादीगण

उपस्थित::–

वकील वादी:–श्री अब्दुल वहाब, एडवोकेट।

वकील प्रतिवादीगण– श्री सुधीर कुमार जैन, एडवोकेट एवं श्री कपिल देव महावर एडवोकेट।

निर्णय दिनांक:–23.04.2025

वादपत्र बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0 एक्ट

–: निर्णय :–

वादपत्र का विवरण:–

1. वादपत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही ग्राम शिवाड़, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर के रहने वाले हैं। वादी की ग्राम शिवाड़, तहसील चौथ का बरवाड़ा में स्थित कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 4356 रकबा 0.43 है0, खसरा नंबर 4713 रकबा 0.55 है0, खसरा नंबर 4718 रकबा 0.12 है0, खसरा नंबर 4719 रकबा 0.53 है0, खसरा नंबर 4721 रकबा 0.48 है0, खसरा नंबर 4760 रकबा 0.92 है0, खसरा नंबर 4924 रकबा [illegible] खसरा नंबर 4928 रकबा 0.75 है0, खसरा नंबर 4929 रकबा 0.50 है0, खसरा नंबर [illegible] रकबा 0.01 है0, खसरा नंबर 4932 रकबा 0.39 है0, खसरा नंबर 4936 रकबा [illegible] है0 कुल किता 12 कुल रकबा 5.12 है0 है, जिस पर वादी बहैसियत मालिक [illegible] काबिज चला आ रहा है। वादी की कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि खसरा नबर 4718, 4719, 4721 के सहारे ही खसरा नंबर 4717 रकबा 0.70 है0 शिवस्वरूप पुत्र [illegible]दयाल ब्राम्हण निवासी शिवाड़ की कब्जे काश्त व खातेदारी की थी, को प्रतिवादी नंबर 4 ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद की है, जिसका नामान्तरकरण संख्या 350 दिनांक 05.10.2010

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.05.01 15:05:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स0 मा0)

खुलकर जमाबंदी संवत् 2066 से 2069 में इन्द्राज हो चुका है। प्रतिवादीगण वादी की कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 4718, 4719, 4721 में होकर जबरदस्ती उत्तर से दक्षिण नवीन रास्ता निकालना चाहते हैं। दिनांक 13.02.2015 को प्रतिवादीगण वादी की उक्त आराजीयात खसरा नंबर 4718, 4719, 4721 में स्थित खड़ी फसल में होकर जबरदस्ती रास्ता निकालने लगे, जिस कारण विनाय दावा पैदा होकर दावा करना आवश्यक हुआ। अतः वादी का वादपत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वो वादी की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 4718 रकबा 0.12, खसरा नंबर 4719 रकबा 0.53, खसरा नंबर 4721 रकबा 0.48 कुल किता 3 कुल रकबा 1.13 है0 वाके ग्राम शिवाड़, तहसील चौथ का बरवाड़ा में होकर नवीन रास्ता उत्तर से दक्षिण में नहीं निकाले और न ही माने मजाहमत पैदा करे और ना ही कोई ऐसा कृत्य करे, जिससे वादी के अधिकार आहत हो।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस बनाम प्रतिवादीगण जारी किये जाकर प्रतिवादीगण की न्यायालय में तलबी की गई।

3. प्रतिवादीगण द्वारा न्यायालय द्वारा कई बार अवसर दिये जाने के बावजूद उनके द्वारा जवाब पेश नहीं किये जाने के फलस्वरूप जवाब प्रतिवादीगण बंद कर दिया गया।

4. वादीगण ने साक्ष्य के समर्थन में निम्नानुसार साक्ष्य प्रस्तुत किये–

<u>पी0डब्ल्यू–1:–</u> वादी गोपाल लाल पुत्र गोविन्दनारायण पाराशर, जाति ब्राम्हण निवासी शिवाड़, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।

<u>प्रदर्श–1:–</u>जमाबंदी संवत् 2070–2073 की प्रमाणित प्रति

5. वकील प्रतिवादीगण द्वारा जिरह हेतु कई अवसर मिलने के बाद अंततः जिरह न चाहने के कारण जिरह बंद की गई। वकील प्रतिवादीगण द्वारा साक्ष्य पेश नहीं किये जाने के फलस्वरूप साक्ष्य प्रतिवादीगण बंद किये गये।

6. बहस उभयपक्षीय सुनी गई। वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस वादपत्रमें अंकित तथ्यों का दोहरान किया गया। वकील प्रतिवादीगण द्वारा दौराने बहस दावे के विरोध में एवं उनके जवाब के अभाव में कुछ भी नहीं कहा गया।

7. मेंरे द्वारा वकील उभयपक्षों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रदर्श–1 (जमाबंदी संवत् 2070–2073) के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादी विवादित आराजीयात खसरा नंबर 4718 रकबा 0.12, खसरा नंबर 4719 रकबा 0.53, खसरा नंबर 4721 रकबा 0.48 का रिकॉर्डेड खातेदार है। वादी द्वारा बतौर मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत स्वयं के बयानों के स्पष्ट है कि वादी स्वयं की उपरोक्त विवादित आराजी पर काबिज है। एवं प्रतिवादीगण वादी की खातेदारी में से जबरन रास्ता निकालना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में वादी को प्रतिवादीगण द्वारा उनके कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न न करने हेतु पाबंद कराने का अधिकार प्राप्त है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.05.01 15:05:20 IST
Reason: SelfAttested

8. उक्त विवेचन के आधार पर प्रतिवादीगण को विवादित आराजीयात [illegible]718 रकबा 0.12, खसरा नंबर 4719 रकबा 0.53, खस[illegible] शिवाड़, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई [illegible] किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करने एवं उक्त [illegible] नहीं निकालने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित है।

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स0 मा0)

–:आदेश:–

वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाता है और प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे ग्राम शिवाड़, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर में स्थित वादी की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 4718 रकबा 0.12, खसरा नंबर 4719 रकबा 0.53, खसरा नंबर 4721 रकबा 0.48 कुल किता 03 कुल रकबा 1.13 में नवीन रास्ता नहीं निकाले और वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें। निर्णय आज दिनांक 23.04.2025 को खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(दामोदर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स0 मा0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Damodar Sin
Date: 2025.05.01 15:05:20 IST
Reason: SelfAttested